संख्या-प० मा० नि०-357/दस-21(एम)/97

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 1997।

वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग

विषय :–पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

महोदय,

मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1997) के प्रथम प्रतिवेदन पर निर्गत संकल्प संख्या-प० मा० नि०-352/दस-20(एम)/97, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 तथा शासनादेश संख्या-प० मा० नि०-356/दस-22 (एम)/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत आदेश निम्नवत् जारी करने का निदेश हुआ है :–

(1) प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायगा,

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि तक, अथवा वह पद रिक्त करने या उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण–(1) वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के मामले में होगी।

स्पष्टीकरण–(2) ऐसे संवर्ग/पदों के धारकों को जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 1-1-1996 के बाद हुआ है, यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 1-1-1996 को विद्यमान वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अथवा उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान को चुन लें।

स्पष्टीकरण–(3) उपरोक्त विकल्प 1 जनवरी, 1996 को या उसके बाद नियुक्त किसी कर्मचारी के लिए लागू नहीं होगा, चाहे वह सरकारी सेवा में नया ही क्यों न आया हो अथवा प्रथम स्थानान्तरण या पदोन्नति पर क्यों न हो उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–(4) जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने नियमित रूप से नियुक्त स्थानापन्न पद पर कार्यरत रहते हुए मूल नियम 23 अथवा किसी अन्य नियम के तहत अपने वर्तमान वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प चुनता है तो उसका मूल वेतन वही माना जायगा जो वह स्थायी नियुक्ति के तौर पर रहते हुए प्राप्त करता अथवा स्थानापन्न पद पर रहते हुए अगर उसका वेतन स्थायी नियुक्ति के वेतन से अधिक हो जाय तो इन दोनों में से उच्चतर वेतन ही उसका मूल वेतन माना जायगा।

विकल्प का चयन

(2) उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प का चयन लिखित रूप से **संलग्नक "ख"** पर उपलब्ध **"विकल्प पत्र का प्रारूप"** में देना होगा और यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन पर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर पहुंच जाना चाहिए।

परन्तु जहां कोई कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को या इसके पहले निलम्बित हो ज और उसके काम पर लौटने की तिथि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के बाद की तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के 90 दिन के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है।

(3) उपर्युक्त भांति दिये गये विकल्प की उक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रा स्वीकार की जायगी।

(4) अगर सम्बन्धित कर्मचारी का लिखित विकल्प उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसा निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं प्राप्त होता है तो यह मान लिया जायगा कि उसे पुनरीक्षि वेतनमान स्वीकार्य है और उसका दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेत निर्धारित कर दिया जायगा।

(5) एक बार जो विकल्प दे दिया जायगा उसे ही अंतिम माना जायगा।

(6) जिन कर्मचारियों की सेवायें दिनांक 1-1-1996 को या उसके बाद समाप्त कर दी गयी हों अथवा जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के फलस्वरूप सेवामुक्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (इस्तीफा), अनुशासनहीनता के कारण सेवामुक्त या बरखास्त किए गये हों, को भी विकल्प की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(7) जो कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को या उसके बाद दिवंगत हो गये और इस कारण निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतनमान के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके, के मामले में 1-1-1996 या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो भी उसके आश्रितों के लिए लाभप्रद हो, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जायगी।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना

2—किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां" निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :-

(1) दिनांक 1-1-1996 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक प्रोन्नति/उच्च वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 1-1-1996 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतन वृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) के अधीन मूल वेतन एवं साधारण वेतनमान की दशा में वृद्धिरोध वेतन वृद्धि, यदि कोई हो तथा देय प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०) के योग पर दिनांक 1-1-1996 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता।

(3) शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-2043/दस-93-39 (एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 में रु० 100/- प्रतिमास की दर से अनुमन्य प्रथम अंतरिम सहायता की धनराशि।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) के अनुसार आहरित केवल मूल वेतन पर शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-624/दस-39(एम)/93 टी०सी०, दिनांक 16 अगस्त, 1995 में मूल वेतन के 10 प्रतिशत, न्यूनतम रु० 100/- प्रतिमास की दर से अनुमन्य दूसरी अंतरिम सहायता की धनराशि।

3—किसी भी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०)।

(4) ऐसा वेतन जो उक्त प्रस्तर-2(1) के अधीन नहीं आता है।

(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

(7) शासनादेश सं०-वे०आ०-1-744/दस-39 (एम)/93 टी०सी०, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत तीसरी अंतरिम सहायता की धनराशि।

पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

4—किसी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा दिये गये विकल्प अथवा उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत माने गये विकल्प के अनुसार दिनांक 1-1-1996 को उसके मूल/मौलिक पद (जिस पर उसका धारणाधिकार है) और स्थानापन्न पद पर अलग-अलग निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायगाः–

(1) कर्मचारी के वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 40 प्रतिशत धनराशि "वर्तमान परिलब्धियों" में जोड़कर जो धनराशि आये, पुनरीक्षित वेतनमान में उसके अगले स्तर पर,

किन्तु यदि पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि से अधिक हो तो वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम पर होगा, और यदि उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उक्त वेतनमान के अधिकतम पर होगा।

(2) उपर्युक्तानुसार वेतन निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि/वृद्धियों सहित, यदि कोई हो) पर पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम से कम से कम एक वेतन वृद्धि प्राप्त हो।

(3) समूहबद्ध (बंचिग) के फलस्वरूप यदि किसी वेतनमान में किसी स्तर पर कोई लाभ देय हो सकता है तो इस बारे में वित्त विभाग द्वारा बाद में अलग से आदेश जारी किए जायेंगे।

5—(1) उस स्थिति में जबकि किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि जनवरी, 1996 की पहली तारीख हो तो उसे वेतनवृद्धि को, वर्तमान वेतनमान या पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी जनवरी, 1996 की पहली तारीख को अवकाश पर हो तो उसे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस दिन से मिलेगा जिस तिथि से वह अवकाश के पश्चात् कार्य-भार ग्रहण करेगा।

(3) निलम्बन की दशा में सम्बन्धित कर्मचारी अपने वर्तमान वेतनमान पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अधीन होगा।

(4) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर स्थायी हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वर्तमान वेतनमानों का विलय एक पुनरीक्षित वेतनमान में कर दिया गया हो, ऐसे में वेतन का निर्धारण केवल स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन ही मौलिक वेतन माना जायगा।

(5) यदि सम्बन्धित कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां" "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप से दिया जायगा जिसे भविष्य में वेतन वृद्धि में समायोजित कर लिया जायगा।

(6) यदि कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में दिनांक 1-1-1996 के तुरन्त पहले संवर्ग में उसके कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन यदि कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन से कम निर्धारित होता है तो वरिष्ठ कर्मचारी का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन उस कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर कर दिया जायगा।

(7) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ कर्मचारी, जो 1-1-1996 से पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हुआ हो, को पुनरीक्षित वेतनमान में उस कनिष्ठ कर्मचारी से जो कि दिनांक 1-1-1996 के बाद उच्च पद पर पदोन्नति किया गया है, कम वेतन प्राप्त हो तो उस स्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उस स्तर तक बढ़ा दिया जाय जो कि उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिया जा रहा है। यह वृद्धि कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जायगी तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कर्मचारियों को एक ही संवर्ग का होना चाहिए तथा दोनों पद जिन पर वे पदोन्नत हुए हैं वह संवर्ग में समान (आइडेन्टिकल) पद होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान तथा पुनरीक्षित वेतनमान, जिनमें कि वे वेतन पाने के अधिकृत हैं, समान (आइडेन्टिकल) होना चाहिए।

(ग) वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।

(घ) उपर्युक्त विसंगति सीधी तौर पर मूल नियम-22 बी के प्राविधानों के उपयोग के कारण अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में, इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि निम्नतर पद पर कोई कनिष्ठ कर्मचारी वर्तमान वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो उस पर उपर्युक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुरूप वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन का पुनर्निर्धारण मूल नियम-27 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायगा तथा सम्बन्धित कर्मचारी को अगली वेतन वृद्धि उपर्युक्तानुसार वेतन पुनर्निर्धारण के एक वर्ष बाद देय होगी।

(8) किसी कर्मचारी का यदि पुनरीक्षित वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भिक स्थानापन्न वेतन उसके मूल/मौलिक वेतन से कम हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका प्रारम्भिक स्थानापन्न वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित उसके प्रारम्भिक मौलिक वेतन के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित किया जायगा।

पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की तिथि

6—(1) कोई कर्मचारी जिसका वेतन उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया गया है तो उसकी अगली वेतन वृद्धि उसी दिनांक को दी जायगी जिस दिनांक को वह वर्तमान वेतनमान लागू रहने की अवस्था में वेतन वृद्धि प्राप्त करता,

किन्तु ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी का वेतन उपर्युक्त प्रस्तर-4 के उप-प्रस्तर (2) तथा प्रस्तर-5 के उप-प्रस्तर (6) या (7) की शर्तों के अधीन बढ़ाया गया है, तो ऐसे मामले में अगली वेतन वृद्धि तद्नुसार वेतन बढ़ाये जाने के दिनांक से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् दी जायगी।

(2) इसके अतिरिक्त यह भी कि, ऐसे मामले जो पूर्व प्रस्तर से आच्छादित नहीं हैं, जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-1996 को वेतन उसी संवर्ग में उससे कनिष्ठ एक अन्य कर्मचारी जो वर्तमान वेतनमान में उससे निम्न स्तर का वेतन पा रहा हो, के वेतन के समान निर्धारित होता है, को अगली वेतन वृद्धि उसी तिथि को प्रदान की जायगी यदि उससे कनिष्ठ कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तिथि उससे पहले पड़ती हो।

(3) ऐसे मामलों में जहां दो वर्तमान वेतनमानों, जिनमें एक वेतनमान दूसरे के लिए पदोन्नत वेतनमान हो, को मिला दिया गया हो और कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन, वर्तमान निचले वेतनमान में समान/नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वह वर्तमान उच्च वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन पाये तो ऐसी स्थिति में पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर उसी तिथि से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जायगा और इस प्रकार बढ़ाये गये वेतन की तिथि से 12 माह की अर्हकारी अवधि पूरी करने पर ही वह अपनी अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

1 जनवरी, 1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण

7—ऐसा कर्मचारी जो वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और दिनांक 1-1-1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है तो बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान में उसके वेतन का निर्धारण मूल नियम के अन्तर्गत किया जायगा और इस प्रयोजनार्थ वर्तमान वेतनमान में उसके वेतन का अर्थ प्रस्तर-2 से 4 के अनुसार आगणित वर्तमान परिलब्धियों के समान ही होगा, सिवाय इसके कि उन परिलब्धियों के आगणन हेतु लिया गया वेतन उपर्युक्त बाद की तिथि में उसका साधारण वेतनमान में मूल वेतन होगा। दिनांक 1-1-1996 के बाद की तिथि से किसी पद पर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड में प्राप्त वेतन के आधार पर देय वेतन की गणना में नहीं लिया जायगा।

8—(1) किसी कर्मचारी/अधिकारी जिसे वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड दिनांक 1-1-1996 के पूर्व मिल चुका था और उसकी प्रोन्नति उपर्युक्त वर्तमान वैयक्तिक वेतनमान/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के समान वेतनमान के पद पर दिनांक 1-1-1996 के बाद हुई हो, तो प्रोन्नति के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, निम्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन के समान स्तर पर ही निर्धारित किया जायेगा।

(2) किसी कर्मचारी/अधिकारी जिसे समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-1996 के बाद प्रोन्नत वेतनमान/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रूप से मिला है और पुनः उसी वेतनमान के पद पर वास्तविक रूप से उसकी प्रोन्नति हुई हो तो वास्तविक प्रोन्नति के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन निर्धारण निम्न पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर सामान्य नियमों के अन्तर्गत किया जायगा।

9—ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्तमान वेतनमान में दक्षता रोक प्रक्रम पर रोक लिया गया हो उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिए जाने पर कोई रोक नहीं है और जब ऐसा किया जायगा तो पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन उस आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से पुनः निर्धारित कर दिया जायगा।

अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया

10—दिनांक 1-1-1996 या 1-1-1996 के बाद की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, को पुनरीक्षित वेतनमान में दी जाने वाली धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुए अवशेष निकाला जायगा जो सम्बन्धित कर्मचारी ने उस दिनांक को पुराने वेतनमान में वेतन, महंगाई भत्ता और अंतरिम सहायता की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किस्त के रूप में समय-समय पर आहरित किया हो। वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष का भुगतान निम्न प्रकार किया जायगा :–

(क) 1-1-1996 से 30-9-1997 तक के पुनरीक्षित वेतनमान में देय अवशेष तथा दिनांक 1-7-1996, 1-1-1997 तथा 1-7-1997 से महंगाई भत्ता के रूप में दिनांक 30-9-1997 तक के अवशेष को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में निम्न के अधीन जमा किया जाय :—

आयकर की परिधि में न आने वाले कर्मचारियों को उक्त अवशेष के 20 प्रतिशत भाग का भुगतान नकद किया जायगा।

आयकर की परिधि में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त वर्णित अवशेष का आंकलन कर नियमानुसार अवशेष पर आयकर के स्रोत पर कटौती,

यदि (1) आयकर 20 प्रतिशत या उससे अधिक देय है तो समस्त आयकर की कटौती के उपरान्त अवशेष को अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायगा, अन्यथा (2) अवशेष पर देय आयकर के 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में वास्तविक आयकर की कटौती के उपरान्त 20 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक नकद भुगतान कर अवशेष कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाय।

उदाहरणार्थ—यदि किसी कर्मचारी को रु० 10,000/- दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 तक देय अवशेष होता है, तो 20 प्रतिशत की धनराशि रु० 2,000/- होगी और इसमें यदि उसका देय आयकर रु० 1,500/- होता है, तो रु० 1,500/- की कटौती कर रु० 500/- कर्मचारी को नकद भुगतान कर दिया जायगा और अवशेष रु० 8,000/- कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाय।

(ख) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 1-10-1997 से नकद किया जायगा।

11—दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय समस्त अवशेष का नकद भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जायगा, जिसमें पहली किस्त का भुगतान दिनांक 31-3-1998 के पूर्व तथा दूसरी किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 1998-99 में दिनांक 31-7-1998 से पूर्व किया जायगा। ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1-10-1997 से आगे 30-6-1998 तक सेवा निवृत्त हुए/होने वाले हों, उन्हें देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायगा। मृत कर्मचारियों के मामलें में समस्त अवशेष का भुगतान नकद किया जायगा।

12—पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण **संलग्नक "क"** पर प्रस्तुत किए गये हैं। इसी प्रकार पुनरीक्षित वेतनमानों में दिये जाने वाले विकल्प का प्रारूप **संलग्नक "ख"** पर प्रस्तुत है और पुनरीक्षित वेतनमानों की सूची **संलग्नक "ग"** पर दी गयी है।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

संख्या-प०मा०नि०-357 (1)/दस-21 (एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।

2—रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3—उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।

5—संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प०मा०नि०-357(2)/दस-21 (एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या-प०मा०नि०-357(3)/दस-21 (एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

संलग्नक "क"

उदाहरण–1

	(रु०)
1—वर्तमान वेतनमान	750—12—870—द०रो०-14—940
2—पुनरीक्षित वेतनमान	2550—55—2660—60—3200
3—वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	786.00
4—1-1-1996 को महंगाई भत्ता	1163.00
5—अंतरिम सहायता की पहली किस्त	100.00
6—अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त (मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम रु० 100/-)	100.00
7—वर्तमान परिलब्धियां	2149.00
8—मूल वेतन का 40 प्रतिशत	314.00
योग,	2463.00
9—पुनरीक्षित वेतनमान में अगला स्तर	2550.00 (न्यूनतम)
10—वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतन वृद्धि के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन की स्थिति	2605.00
11—पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम-सं०-9 या 10 की स्थिति, इनमें जो भी अधिक हो)	2605.00

उदाहरण–2

	(रु०)
1—वर्तमान वेतनमान	1640-60-2600—द०रो०-75—2900
2—पुनरीक्षित वेतनमान	5500—175—9000
3—वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	2360.00
4—1-1-1996 को महंगाई भत्ता	3493.00
5—अंतरिम सहायता की पहली किस्त	100.00
6—अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त (मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम रु० 100/-)	236.00
7—वर्तमान परिलब्धियां	6189.00
8—मूल वेतन का 40 प्रतिशत	944.00
योग,	7133.00
9—पुनरीक्षित वेतनमान में अगला स्तर	7250.00
—वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतन वृद्धियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन की स्थिति	6200.00
—पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम-सं०-9 या 10 की स्थिति, जो भी अधिक हो)	7250.00

उदाहरण–3

	(रु०)
1—वर्तमान वेतनमान	4500—150—5700
2—पुनरीक्षित वेतनमान	14300—400—18300
3—वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	5400.00
4—1-1-1996 को महंगाई भत्ता	5994.00
5—अंतरिम सहायता की पहली किस्त	100.00
6—अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त (मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम रु० 100/-)	540.00
7—वर्तमान परिलब्धियां	12034.00
8—मूल वेतन का 40 प्रतिशत	2160.00
योग,	14194.00
9—पुनरीक्षित वेतनमान में अगला स्तर	14300.00
10—वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतन वृद्धि के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन की स्थिति	15100.00
11—पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम-सं०–9 या 10 की स्थिति, जो भी अधिक हो)	15100.00

संलग्नक "ख"

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं ...., दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूँ ।

* (2) मैं .... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :—

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि...

मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन .... रु० न हो जाय ।

मैं, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ ।

वर्तमान वेतनमान .... ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय का नाम ....

दिनांक :

स्टेशन :

* यदि लागू न हो, काट दिया जाय ।

संलग्नक "ख"

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं ...., दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता हूँ।

* (2) मैं .... मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिये अनुसार वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :—

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि....................................

मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन .... रु० न हो जाय।

मैं, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान .... ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय का नाम ....

दिनांक :

स्टेशन :

* यदि लागू न हो, काट दिया जाय।

संलग्नक–"ग"

1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों की सूची

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमान (रु०)
1	2
1—	2550—55—2660—60—3200
2—	2610—60—3150—65—3540
3—	2650—65—3300—70—4000
4—	2750—70—3800—75—4400
5—	3050—75—3950—80—4590
6—	3200—85—4900
7—	4000—100—6000
8—	4500—125—7000
9—	4500—125—7250
10—	5000—150—8000
11—	5500—175—9000
12—	6500—200—10500
13—	7450—225—11500
14—	8000—275—13500
15—	8550—275—14600
16—	10000—325—15200
17—	10650—325—15850
18—	12000—375—16500
19—	14300—400—18300
20—	16400—450—20000
21—	18400—500—22400
22—	22400—525—24500
23—	26000 (नियत)

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 127 सा० वित्त—2-1-98—(2092)—20,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।